| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | माघ 09, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 29, 2024<br>*Magha 09 Monday , Saka 1945- January 29 , 2024* | |

**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जनवरी 05, 2024**

**संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016** :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति औसिया मथानिया के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2017 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

कृषक वर्गः-

श्री नारायण राम

श्रीमती पुष्पा

श्रीमती नोजी देवी

श्री भागीरथ विश्नोई

श्री पूनाराम डूडी

श्री इदे खां

व्यापारी वर्गः-

श्री ओमप्रकाश बिरडा

सहकारी विपणन सोसाइटीः-

श्री देदाराम

वार्ड पंच ग्राम पंचायत औंसिया स्थानीय निकाय सदस्यः-

श्री रामूराम

विधान सभा का सदस्यः-

सुश्री दिव्या मदेरणा

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री दिनेश परिहार

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

कुन्तल विश्नोई,
**शासन उप सचिव।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**